



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- न्यायालय एसीजेएम नम्बर 01, नीमकाथाना जिला सीकर के कौशल सिंह राठौड़, सहायक निदेशक अभियोजन को 50,000/- रुपये रिश्वत लेते जयपुर में रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जयपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये, कौशल सिंह राठौड़, सहायक निदेशक अभियोजन, न्यायालय एसीजेएम नम्बर 01, नीमकाथाना जिला सीकर को परिवादी से 50,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी को परिवादी द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि आरोपी कौशल सिंह राठौड़ अतिरिक्त निदेशक अभियोजन द्वारा परिवादी के न्यायालय में विचाराधीन (संगठित गिराह से संबंधित प्रकरण में) नीमकाथाना जेल में बन्द परिवादी के पुत्र के प्रकरण में धारा 111 (4) एवं 308 बीएनएस 2023 हटाने की एवज अभियोजन पक्ष को कमजोर करने तथा मुलजिम के अधिवक्ता के विरुद्ध प्रभावी पैरवी न करने की आवाज में परिवादी से 3,25,000/- रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी।

रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 3,00,000/- रुपये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में 50,000/- रुपये बतौर रिश्वत रेलवे स्टेशन जयपुर के पास प्राप्त करने पर कौशल सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस- प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरवीजन में एसीबी की सीकर ईकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार एवं पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये कौशल सिंह राठौड़ को परिवादी से 50,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।